



**बिहार विधान परिषद्**

**दैनिक विवरणिका**

संख्या- 18

सत्र- 212वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख  
बृहस्पतिवार, दिनांक 26.2.2026 ई.

माननीय सभापति, श्री अवधेश नारायण सिंह की  
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.10 बजे अपराह्न तक

#### आसन को सूचना

माननीय सदस्या, डा. उर्मिला ठाकुर ने आसन को सूचना दी कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् ने 659 पदों की स्वीकृति दी है और 23 वर्षों से काम करने वाले 123 कर्मियों को हटा दिया गया है। सदन के माध्यम से मैं मांग करती हूं कि इन लोगों का कल्याण किया जाए।

माननीय सदस्य, डा. सुनिल कुमार सिंह ने आसन को सूचना दी कि कल मैंने आसन से अपील की थी कि जो हमलोगों का संशोधन विधेयक आता है, उसे एक दिन पूर्व ही दे दिया जाए। अगर बहुत ज्यादा असमर्थता है तो कम-से-कम 12 घंटा पहले इसे उपलब्ध करा दिया जाए।

माननीय सदस्य, मो. सोहैब ने आसन को जानकारी दी कि बिहटा थाना के सिमरी गांव में बजरंग दल के लोगों ने काफी उत्पात मचाया और उलटे इनलोगों ने गांव के ग्रामीणों पर केस कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इस जुल्म को रोका जाए।

### अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या - 184, 190, 267, 269 से 275 तक एवं 277 उत्तरित हुए।

प्रश्नसंख्या - 268 एवं 276 व्यपगत हुए।

प्रश्न संख्या - 278 से 281 तक अनागत हुए।

### तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या - 422 से 427 तक उत्तरित हुए।

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

प्रश्न संख्या - 428 से 448 तक अनागत हुए।

### आसन का नियमन

प्रश्न संख्या- 423 पर माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि इसके तकनीकी पक्ष पर माननीय मंत्री विचार करेंगे।

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

## 2. शून्यकाल

1. श्री अशोक कुमार
2. श्री घनश्याम ठाकुर
3. श्री जीवन कुमार
4. डा. अजय कुमार सिंह
5. श्री सैयद फैसल अली
6. श्रीमती रीना देवी

### आसन का निदेश

आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि इसे पढा हुआ माना जाए और शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाए।

## 3. औपचारिक कार्य

माननीय सदस्य, श्री घनश्याम ठाकुर द्वारा सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 215वां प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी गई जिसपर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

#### 4. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 का प्रतिवेदन "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक" "अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल" एवं मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए "निष्पादन एवं लेखापरीक्षा-सिविल" एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" एवं जिला परिवहन कार्यालयों की कार्य पद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।
2. माननीय मंत्री, श्री संजय सिंह टाईगर द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

#### 5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा नवादा जिला की पांच नदियों यथा- खूरी, सकरी, धनार्जय, तिलैया एवं ढाढर नदियों को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।  
इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने वक्तव्य दिया।
2. माननीय सदस्या, श्रीमती निवेदिता सिंह द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत दुर्गावती नहर पर फॉल का निर्माण कर विश्रामपुर वैतरणी नहर को सक्रिय कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।  
इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने वक्तव्य दिया।
3. माननीय सदस्य, श्री कार्तिक कुमार एवं 03 (तीन) माननीय सदस्यगण द्वारा पटना जिलान्तर्गत रामजानकी मंदिर, दानापुर के पास एक पुलिस पिकेट की स्थापना कर जाम की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।  
इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अरूण शंकर प्रसाद ने वक्तव्य दिया।
4. माननीय सदस्य, श्री भीसम साहनी द्वारा चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा में स्थायी बस स्टैंड का निर्माण कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।  
स्थगित।

5. माननीय सदस्य, मो. खालीद अनवर एवं भीसम साहनी द्वारा शराब तस्करी में जब्त चोरी की गाड़ियों को वास्तविक वाहन मालिकों को निःशुल्क विमुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री अनिल कुमार एवं अन्य 02 (दो) माननीय सदस्यगण द्वारा राज्य में फार्मसी कॉलेज खोलने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अविलंब एन.ओ.सी. देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

स्थगित।

7. माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव द्वारा बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना के निलंबित कुलसचिव डा. संजय कुमार को निलंबन एवं सभी अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेन्द्र मेहता ने वक्तव्य दिया।

#### आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि संचिका मंगवाकर देख लेंगे और हमारे सहयोग के लिए 2-4 और माननीय सदस्य रहेंगे, नीरज जी भी रहेंगे।

#### ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

8. माननीय सदस्य, डा. अजय कुमार सिंह द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड में नकटा ग्राम के वार्ड संख्या-6 तक निर्मित सुरक्षा बांधों को वार्ड संख्या-7, सोनवर्षा टोला- महपतिया पंचायत से झरबा तक विस्तार से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य दिया जाना।

इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने वक्तव्य दिया।

#### (अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

#### 6. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री वंशीधर ब्रजवासी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य में व्याप्त सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को समाप्त करने के लिए 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्या, श्रीमती शशि यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'राज्य में नए सर्वे के आधार पर एक नया आवास कानून बनाकर किसी भी गरीब को उजाड़ने या हटाने से पूर्व रहने योग्य स्थान पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे।'

(व्यपगत)

3. माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक- 25.05.2011 के पश्चात् नियुक्त एवं कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी राजकीयकृत विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों की भांति वित्तीय सुविधा एवं अन्य सुविधा का लाभ प्राप्त हो।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, श्री सर्वेश कुमार ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल की स्थापना सहित अन्य अवसंरचना कार्यक्रम (बड़े स्कूल, अधिक शिक्षक) की स्वीकृति प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, प्रो.(डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य के ग्राम सभाओं को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

6. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य के ग्राम सभाओं को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि सरकार 'नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड का अनुमंडल कार्यालय रजौली से हटाकर नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्थित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'वज्रपात (आकाशीय बिजली) को 'प्राकृतिक आपदा' की सूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री लाल मोहन गुप्ता का प्रस्ताव कि सरकार 'मुंगेर जिला के जमालपुर नगर पूर्वी क्षेत्र स्थित बालिका मध्य विद्यालय, बड़ी आशिकपुर, नगर वार्ड संख्या- 03 को +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, डा. उर्मिला ठाकुर का प्रस्ताव कि सरकार 'कुम्हार (प्रजापति), नाई (हज्जाम), बढई, लोहार, ताँती-ततवाँ, कानू, मल्लाह (केवट), चन्द्रवंशी (कहार), गड़ेरिया जैसे अन्य जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

11. माननीय सदस्य, श्री जीवन कुमार का प्रस्ताव कि सरकार 'राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों/ प्रधानाध्यापकों/ प्रधान शिक्षकों को गृह जिला या निकटतम जिला के अधीनस्थ विद्यालयों में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

12. माननीय सदस्य, श्री कुमार नागेन्द्र द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि सरकार 'गया जी से शेरघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया से चतरा तक एवं इस्लामपुर, खिजरसराय, गया जी रेल परियोजना को जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(व्यपगत।)

13. माननीय सदस्य, डा. सुनिल कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु उनके कृषि उत्पाद गेहूँ पर अन्य राज्यों की तर्ज पर बोनस की व्यवस्था सुनिश्चित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्य, श्री अनिल कुमार ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'बिहार में संचालित सभी निजी (प्राईवेट) हॉस्टलों को वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी एवं सेवा कर हेतु निबंधन अनिवार्य करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

15. माननीय सदस्य, श्री सौरभ कुमार ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलने में सत्यापन एवं अन्य समस्त बाधाओं को तुरंत दूर करते हुए छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'भारत में समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी नेता और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय डा. राममनोहर लोहिया के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार सिंह द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि सरकार 'औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड उमगा स्थित पहाड़ी एवं मंदिर शृंखला के संरक्षण, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे।'

(व्यपगत।)

18. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार पाण्डेय ने प्रस्ताव किया सरकार 'भगवानपुर प्रखंडान्तर्गत विश्व प्रसिद्ध एवं अति प्राचीन मंदिर माँ मुण्डेश्वरी धाम प्रांगण में रोप-वे का निर्माण करावे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

19. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को पेंशन की व्यवस्था लागू करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

20. माननीय सदस्य, श्री मो. सोहैब ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'पूरे भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत।)

21. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'सूबे के राज्यकर्मियों के साथ-साथ सभी कोटि के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षकों/ सहशैक्षिक कर्मियों को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु कैशलेस चिकित्सीय बीमा सुविधा प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

22. माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि सरकार 'पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज अनुमंडल में बालिकाओं के पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था हेतु रुद्र महिला इंटर कॉलेज को महिला डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करे।'

(व्यपगत।)

23. माननीय सदस्य, श्री जनक राम ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य के महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्व. रामसुन्दर दास की जयंती एवं पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह घोषित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

24. माननीय सदस्य, श्री घनश्याम ठाकुर ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी नई रेल लाईन निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

25. माननीय सदस्य, डा. अजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'सहरसा स्थित बंद पड़े रविनन्दन मिश्र स्मारक विधिमहाविद्यालय में शीघ्रातिशीघ्र पठन-पाठन सुनिश्चित करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

26. माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

27. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्त अतिथि प्राध्यापकों की सेवा अन्य राज्यों की भांति 65 वर्ष तक के लिए स्थायी करे।'

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

28. माननीय सदस्य, डा. कुमुद वर्मा द्वारा प्रस्ताव किया जाना कि सरकार 'गया जी जिला के बोधगया में एम्स (AIIMS) की स्थापना करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(व्यपगत।)

## 7. निवेदन

1. श्री सर्वेश कुमार
2. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
3. मोहम्मद खालीद अनवर
4. डा. अजय कुमार सिंह
5. श्री वंशीधर ब्रजवासी
6. श्री भीसम साहनी

7. प्रो. (डा.) राजवर्धन आजाद
8. श्री अशोक कुमार
9. श्री अनिल कुमार
10. श्री तरूण कुमार
11. श्री अफाक अहमद खां
12. श्री जीवन कुमार
13. श्री आफाक अहमद
14. डा. मदन मोहन झा
15. श्री सौरभ कुमार
16. श्री नवल किशोर यादव
17. प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव
18. श्री अशोक कुमार पाण्डेय

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाए।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 27.2.2026 को

11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

*Signature*  
26/2/2026

(सुभीम शर्मा)

मुख्य प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 244 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 26.2.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ माननीय राज्यपाल के सचिव, बिहार/ महाधिवक्ता, बिहार/ लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठाता निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

*Signature*  
26.2.2026

(अनिल कुमार आनंद)

वरीय प्रतिवेदक,

बिहार विधान परिषद्।



**روزانہ تفصیلات**

۲۱۲واں اجلاس

**بہار قانون ساز کاؤنسل**

شمارہ-۱۸

## ایوان کی کارروائی کا مختصر ریکارڈ

جمعرات، ۲۶ فروری، ۲۰۲۶

26.02.2026

عزت مآب چیرمین جناب اودھیش نارائن سنگھ کی صدارت میں

ایوان کی کارروائی شروع ہوئی

12.00 بجے دن سے 04.10 بجے شام تک

صدر نشیں کو اطلاع

معزز رکن، ڈاکٹر ارمیلا شاکھ نے صدر نشیں کو مطلع کیا کہ بہار انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن بورڈ نے ۶۵۹ عہدوں کی منظوری دی ہے اور ۲۳ سالوں سے کام کرنے والے ۱۲۳ ملازمین کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ایوان کے توسط سے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ ان لوگوں کی بھلائی کی جائے۔

معزز رکن، ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ نے صدر نشیں کو مطلع کیا کہ کل میں نے صدر نشیں سے اپیل کی تھی کہ جو ہم لوگوں کا ترمیم بل آتا ہے، اسے ایک دن قبل ہی دے دیا جائے۔ اگر بہت زیادہ ناممکن ہے تو کم سے کم ۱۲ گھنٹہ پہلے اسے دستیاب کر دیا جائے۔

معزز رکن، محمد صہیب نے صدر نشیں کو جانکاری دی کہ بہناتھانہ کے سمری گاؤں میں بجزنگ دل کے لوگوں نے کافی اتپات چھایا اور اگلے ان لوگوں نے گاؤں کے باشندوں پر کیس کر دیا۔ معزز وزیر اعلیٰ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس ظلم کو روکا جائے۔

## مختصر معادی سوال

سوال نمبر- ۱۸۴، ۱۹۰، ۲۶۷، ۲۶۹، سے ۲۷۵ تک اور ۲۷۷ کے جواب دیئے گئے۔

سوال نمبر- ۲۶۸ اور ۲۷۶ ضائع ہوئے۔

سوال نمبر- ۲۷۸ سے ۲۸۱ ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

## علامتی سوال

سوال نمبر- ۴۲۲ سے ۴۲۷ تک کے جواب دیئے گئے۔

(اس موقع پر عزت مآب ڈپٹی چیرمین کرسی نشین ہوئے۔)

سوال نمبر- ۴۲۸ سے ۴۳۸ ایوان کی میز تک نہیں پہنچے۔

## صدر نشین کی رولنگ

سوال نمبر- ۴۳۳ پر عزت مآب ڈپٹی چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ اس کے تکنیکی پہلو پر معزز وزیر غور کریں گے۔

(اس موقع پر عزت مآب چیرمین کرسی نشین ہوئے۔)

۲- وقفہ صفر

- |                        |                        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| ۱- جناب اشوک کمار      | ۲- جناب گھنشیام ٹھا کر | ۳- جناب جیون کمار   |
| ۴- ڈاکٹر اجے کمار سنگھ | ۵- جناب سید فیصل علی   | ۶- محترمہ رینا دیوی |
- صدر نشین کی ہدایت

کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ اسے پڑھا ہوا تسلیم کیا جائے اور وقفہ صفر سمیٹی کو سپرد کیا جائے۔

۳- رسمی امور

معزز رکن، جناب گھنشیام ٹھا کر کے ذریعہ اراکین کے بل اور ریزولوشن سے متعلق کمیٹی کی ۲۱۵ ویں رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی جس پر ایوان کے ذریعہ منظوری حاصل کی گئی۔

۴- ضابطے کے تحت کارروائی

۱- معزز وزیر، جناب وجیندر پرساد یادو کے ذریعہ ہندوستان کے کمپنڈرل اینڈ آڈیٹرز جنرل سے حاصل حکومت بہار کی مارچ ۲۰۲۳ کو ختم ہوئے سال ۲۰۲۲-۲۳ کی رپورٹ نمٹار او عمل درآ مد آ ڈٹ۔ سول و کامر شیل، عمل درآ مد آ ڈٹ سول اور مارچ ۲۰۲۳ کو ختم ہوئی مدت کے لئے نمٹار او آ ڈٹ۔ سول اور مارچ ۲۰۲۵ کو ختم ہوئے سال ۲۰۲۳-۲۵ کی رپورٹ مالی بجٹ (حصہ ۱ اور ۲) اور تصرفی

بل اور ضلع ٹرانسپورٹ دفتروں کے طریقہ کار پر ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ کو ختم ہوئی مدت کے لئے 'نہارا آڈٹ'۔ سول رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۲۔ معزز وزیر، جناب سنجے سنگھ ٹانگیر کے ذریعہ محکمہ ماحولیات، جنگلات و تبدیلی آب و ہوا کے تحت بہار اسٹیٹ بائیو ڈائیورسیٹی بورڈ کے مالی سال ۲۶-۲۰۲۵ کی سالانہ رپورٹ کی ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

## ۵۔ توجہ طلب اطلاع

۱۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار کے ذریعہ نوادہ ضلع کی پانچ ندیوں یعنی کھوری، سکری، دھنار جے، تیلیا اور ڈھا ڈھند یوں کو ناجائز قبضہ سے آزاد کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجے کمار چودھری نے بیان دیا۔

۲۔ معزز رکن، محترمہ نویدیتا سنگھ کے ذریعہ روہتاس ضلع کے تحت درگواتی نہر پر فال کی تعمیر کر کے وشرام پور ویترنی نہر کو فعال بنانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجے کمار چودھری نے بیان دیا۔

۳۔ معزز رکن، جناب کارتک کمار و دیگر ۳ (تین) معزز اراکین کے ذریعہ پٹنہ ضلع کے تحت رام جاکھی مندر، دانا پور کے پاس ایک پولس پیکٹ کا قیام کر کے جام کے مسئلے سے نجات دلانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب ارون شکر پرساد نے بیان دیا۔

۴۔ معزز رکن، جناب بھیسیم سہنی کے ذریعہ چمپارن ضلع کے گہا میں مستقل بس اسٹینڈ کی تعمیر کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

ملتی۔

۵۔ معزز اراکین، جناب محمد خالد انور و جناب بھیسیم سہنی کے ذریعہ شراب اسمگلنگ میں ضبط چوری کی گاڑیوں کو حقیقی گاڑی مالکوں کو بغیر فیس کے آزاد کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کیا جانا۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجیندر پرساد یادو نے بیان دیا۔

۶۔ معزز رکن، جناب ائل کمار و دیگر ۲ (دو) معزز اراکین کے ذریعہ ریاست میں فارمیسی کالج کھولنے کے لئے محکمہ صحت کے ذریعہ فوری این اوسی دینے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

ملتی۔

۷۔ معزز رکن، جناب نول کشور یادو کے ذریعہ بہار و بیٹیزی یونیورسٹی، پٹنہ کے معطل رجسٹرڈ اکٹرن سنجے کمار کو معطلی و سبھی تادیبی کارروائیوں سے آزاد کئے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب سریندر مہتو نے بیان دیا۔

صدر نشین کی رولنگ

کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ فائل منگوا کر دیکھ لیں گے اور ہماری مدد کے لئے ۳-۲ اور رکن رہیں گے، نیرج جی بھی رہیں گے۔

توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان

۸۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ کی، سپول ضلع کے تحت سپول بلاک میں نکلا گرام کے وارڈ نمبر ۶ تک تعمیر حفاظتی باندھوں کو وارڈ نمبر ۷ سو نو ساٹھ۔ مہیا پنچایت سے جھربا تک توسیع سے متعلق توجہ طلب اطلاع پر حکومت کا بیان دیا جانا۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب وجے کمار چودھری نے بیان دیا۔

(وقفہ)

(اس موقع پر عزت مآب ڈپٹی چیرمین کرسی نشین ہوئے۔)

غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری ریزولوشن)

-۶

۱۔ معزز رکن، جناب ونشی دھر برج واسی کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ریاست میں پھیلی سماجی و تعلیمی نابرابری کو ختم کرنے کے لئے ۱۲ویں درجہ تک کے بچوں کے لئے مساوی تعلیم اور مساوی پرورش کی پالیسی نافذ کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۔ معزز رکن، محترمہ ششی یادو کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت ریاست میں نئے سروے کی بنیاد پر ایک نیارہائی قانون بنا کر کسی بھی غریب کو اجاڑنے یا ہٹانے سے قبل رہنے کے لائق جگہ پران کی بازا آباد کاری کا نظم کرے۔

(ضائع)

۳۔ معزز رکن، جناب نول کشور یادو کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت منظور شدہ اقلیتی مڈل اسکولوں میں مورخہ ۲۵ مئی، ۲۰۱۱ء کے بعد، بحال اور مامور ٹھیکے پر بحال اساتذہ کو بھی سرکار سے منظور شدہ اسکولوں کے اسپیشل ٹیچر کی طرح مالی سہولت اور دیگر سہولت کا فائدہ حاصل ہو۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۴۔ معزز رکن، جناب سرویش کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست میں معیاری تعلیم کے لئے ماڈل اسکول کے قیام سمیت دیگر انفراسٹرکچر پروگرام (بڑے اسکول، زیادہ اساتذہ) کی منظوری عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۵۔ معزز رکن، پروفیسر (ڈاکٹر) وریندر نارائن یادو نے تجویز پیش کی کہ وہ ریاست میں صوتی آلودگی، معیاری ہوا ماحولیاتی بحران کے مسئلہ کا حل کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

(اس موقع پر عزت مآب چیرمین کرسی نشین ہوئے۔)

۶۔ معزز رکن، جناب سچید اندرائے نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست میں گرام سبھاؤں کو اس کے اصل خاکہ میں ایک بار پھر قائم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۷۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار کے ذریعہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت نوادہ ضلع کے تحت روہ بلاک کا سب ڈویژن آفس رجولی سے ہٹا کر نوادہ صدر سب ڈویژن آفس میں نظم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۸۔ معزز رکن، جناب نیرج کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت آسامی بجلی کو قدرتی آفت کی فہرست میں شامل کرنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۹۔ معزز رکن، جناب لال موہن گپتا نے تجویز پیش کی کہ حکومت مونگیر ضلع کے جمال پور شہر کے مشرقی علاقے میں واقع گرلس ہڈل اسکول، بڑی عاشق پور، نگر وارڈ نمبر ۳-۲ کو ۳ ہائر سکندری اسکول میں ترقی دے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۰۔ معزز رکن، ڈاکٹر امیلاٹھا کر کی تجویز کہ حکومت کہہار (پرچاپتی)، نائی (تجام)، بڑھئی، لہار، تانقی۔ تھوا، کانو، ملاح (کیوٹ)، چندرنوشی (کہار)، گڑریا جیسے دیگر ذات کو درج فہرست ذات کی فہرست میں شامل کرنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۱۔ معزز رکن، جناب جیون کمار کی تجویز کہ حکومت ریاست کے سرکاری اسکولوں میں مامور سبھی کٹیگری کے اساتذہ لائبریریوں پر نسیپولر سینئر اساتذہ کو ہوم ڈسٹرکٹ یا نزدیکی ضلع کے ماتحت اسکولوں میں اختیاری تبادلہ کی سہولت عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۲۔ معزز رکن، جناب کمار ناگیندر کے ذریعہ تجویز پیش کیا جانا کہ حکومت گیاجی سے شیرگھاٹی، بانکے بازار، امام گنج، ڈمریا سے چترا تک اور اسلام پور، خضر سرائے، گیاجی ریل پروجیکٹ کو جوڑنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ضائع)

۱۳۔ معزز رکن، ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست کے کسانوں کی معاشی حالت مضبوط کرنے کے لئے ان کی زرعی پیداوار کی قیمتوں پر دیگر ریاستوں کی طرز پر بونس کا نظم یقینی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۴۔ معزز رکن، جناب ایل کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت بہار میں چلائے جا رہے ہیں سبھی نجی (پرائیویٹ) ہاسٹلوں کو محکمہ کامریشیل ٹیکس کے تحت جی ایس ٹی اور سروس ٹیکس کے لئے رجسٹریشن لازمی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۵۔ معزز رکن، جناب سوربھ کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت پسماندہ، انتہائی پسماندہ، درج فہرست ذات و قبائل طبقہ کے طلباء و طالبات کو ملنے والے پرمیٹرک کے بعد وظیفہ ملنے میں تصدیق اور دیگر تمام رکاوٹوں کو فوراً دور کرتے ہوئے وظیفہ کی رقم کی ادائیگی کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۶۔ معزز رکن، جناب رویندر پرساد سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت ہندوستان میں سماجی ترقی کے سرکردہ لیڈر اور ۱۹۴۲ کے انگریز بھارت چھوڑو تحریک کے اہم مجاہد آزادی اور لوک سبھا کے سابق رکن پارلیامنٹ معزز ڈاکٹر رام منوہر لوبھیا کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی حصہ داری کے پیش نظر انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے نوازنے کے لئے حکومت ہند سے سفارش کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۷۔ معزز رکن، جناب دلپ کمار سنگھ کے ذریعہ تجویز پیش کیا جانا کہ حکومت اورنگ آباد ضلع کے مدن پور بلاک امگا واقع پہاڑی اور مندر سلسلہ کے تحفظ، آثار قدیمہ اور سیاحتی مرکز کی شکل میں فروغ دے۔

(ضائع۔)

۱۸۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار نے تجویز پیش کی کہ حکومت بھگوان پور بلاک کے تحت عالمی شہرت یافتہ اور انتہائی قدیم مندر ماں منڈیشوری دھام احاطہ میں روپ وے کی تعمیر کروے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۱۹۔ معزز رکن، محترمہ رینادیوی نے تجویز پیش کی کہ حکومت سہ سٹی پنچایتی راج کے عوامی نمائندوں کو پنشن کا نظم نافذ کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۰۔ معزز رکن، جناب محمد صہیب نے تجویز پیش کی کہ حکومت پورے ہندوستان میں گائے کو قومی جانور اعلان کرنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔

(ریزولوشن ایوان کے ذریعہ منظور)

۲۱۔ معزز رکن، ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست کے ملازمین کے ساتھ ساتھ سبھی کٹیگری کے اسکول اور کالج اساتذہ / معاون اساتذہ ملازمین کو ذہنی اور معاشی طور پر مضبوط، محفوظ اور صحت مندر کھنے کے لئے کیش لیس میڈیکل بیمہ سہولت عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۲۔ معزز رکن، جناب مہیشو سنگھ نے تجویز پیش کیا جانا کہ حکومت 'مشرقی چمپارن ضلع کے ارے راج سب ڈویژن میں بچیوں کی تعلیم و تعلم کے بہتر نظم کے لئے رودر مہیلا انٹر کالج کو مہیلا ڈگری کالج کی شکل میں فروغ دے۔

(ضائع)

۲۳۔ معزز رکن، جناب جنک رام نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست کے عظیم سماجی، مجاہد آزادی و سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی رام سندراس کے یوم پیدائش و یوم وفات پر سرکاری تقریب کا اعلان کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۴۔ معزز رکن، جناب گھنشیام ٹھاکر نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'مدھوبنی بنی پٹی۔ پورہ نئی ریل لائن تعمیر پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لئے مرکزی حکومت سے رابطہ قائم کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۵۔ معزز رکن، ڈاکٹر اجے کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'سہرسہ میں واقع بند پڑے روی نندن مشرا یادگار قانون کالج میں جلد از جلد تعلیم و تعلم کو یقینی بنائے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۶۔ معزز رکن، جناب عبدالباری صدیقی نے تجویز پیش کی کہ حکومت ریاست کے سبکدوش ملازمین کو مرکزی حکومت کے سبکدوش ملازمین کی طرح طبی سہولت عطا کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۷۔ معزز رکن، پروفیسر سنجے کمار سنگھ نے تجویز پیش کی کہ حکومت 'یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ذریعہ متعین اہلیتی پیمانہ کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کے ذریعہ بحال گیٹ لکچروں کی ملازمت دیگر ریاستوں کی طرح ۶۵ سال تک کے لئے مستقل کرے۔

(ایوان کی اجازت سے تجویز واپس ہوئی)

۲۸۔ معزز رکن، ڈاکٹر کمدرمانے تجویز پیش کیا جانا کہ حکومت 'گیاجی ضلع کے بودھ گیا میں ایمس (AIIMS) کے قیام کرنے کے لئے مرکزی حکومت سے سفارش کرے۔


(ضائع)

۷۔ عرضداشت

- |                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| ۱۔ جناب سرویش کمار                | ۲۔ جناب رویندر پرساد سنگھ              | ۳۔ جناب محمد خالد انور   |
| ۲۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ            | ۵۔ جناب ونشی دھر برج واسی              | ۶۔ جناب بھیسم سہنی       |
| ۷۔ پروفیسر (ڈاکٹر) راج وردھن آزاد | ۸۔ جناب اشوک کمار                      | ۹۔ جناب ایل کمار         |
| ۱۰۔ جناب ترون کمار                | ۱۱۔ جناب افاق احمد خاں                 | ۱۲۔ جناب جیون کمار       |
| ۱۳۔ جناب آفاق احمد                | ۱۴۔ ڈاکٹر مدن موہن جھا                 | ۱۵۔ جناب سوربھ کمار      |
| ۱۶۔ جناب نول کشور یادو            | ۱۷۔ پروفیسر (ڈاکٹر) وریندر نارائن یادو | ۱۸۔ جناب اشوک کمار پانڈے |

عزت مآب چیئرمین نے ایوان کی اجازت سے یہ ہدایت دینے کی عنایت کی کہ موصولہ سبھی عرضداشتوں کو عرضداشت کمیٹی کے توسط سے متعلقہ محکموں کو ارسال کیا جائے۔

بعد ازاں کاؤنسل کی نشست جمعہ مورخہ ۲۷ فروری، ۲۰۲۶ء کو ۱۱ بجے دن تک کے لئے ملتوی ہوئی۔


  
26/2/2026  
(سبھیم شرما)

چیف رپورٹر  
بہار قانون ساز کاؤنسل

26.02.2026

مکتوب نمبر۔ 244(3)

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

  
26/2/26  
(اویناش امن)  
سکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل